रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 604] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2003/अग्रहायण 25, 1925

No. 604] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2003/AGRAHAYANA 25, 1925

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2003

सा.का.नि. 949(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उप सचिव (एम एम), जो अब वर्तमान पोत परिवहन मंत्रालय में निदेशक (एम एम) हैं, के स्थान पर निदेशक (पत्तन विकास), पोत परिवहन मंत्रालय को 31-3-2004 तक कोचीन पत्तन न्यास के लिए न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है तथा भारत सरकार पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 10 अप्रैल, 2002 की सं० सा०का०नि० 274(अ) के साथ पठित दिनांक 27 फरवरी, 2003 की अधिसूचना सं० सा०का०नि०134(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 के सामने "उप सचिव (एम एम)" शब्दों के स्थान पर "निदेशक (पत्तन विकास)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा० सं० पी टी-18011/8/2001-पी टी]

आर० के० जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2003

G.S.R. 949(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Director (Port Development), Ministry of Shipping on the Board of Trustees for the Port of Cochin upto 31-3-2004 *vice* Deputy Secretary (MM), now Director (MM), Ministry of Shipping as a Trustee and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping (Ports Wing), No. G.S.R. 134 (E) dated 27th February, 2003 read with No. G.S.R. 274 (E) dated 10th April, 2002.

2. In the said notification, against serial number 1, for the words "Deputy Secretary (MM)" the words "Director (Port Development)" shall be substituted.

[F. No. PT-18011/8/2001-PT]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

3729 GI/2003

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.